

प्रेषक,

निदेशक,  
रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,  
पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,  
पशुपालन विभाग,  
जनपद-बदायूं/पीलीभीत/बिजनौर एवं अमरोहा।

पत्रांक-192/ईपीडी०/ग्लैण्डर्स/2017-18

दिनांक 05.07.17

विषय- ग्लैण्डर्स बीमारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपायुक्त(पशु स्वास्थ्य) पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या K-50/1/2017-LH दिनांक 03-07-2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके जनपद में अश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैण्डर्स बीमारी की पुष्टि हुई है, जिस पर चिन्ता व्यक्त की गयी है।

उपरोक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि बीमारी के पुष्टि वाले अश्व को अन्य अश्वों से अलग रखकर ही खान-पान कराये। इसके साथ द प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ इन्फेक्सियस एण्ड कन्टेजियस डिजीजेज इन एनिमल्स एक्ट-2009 तथा उत्तर प्रदेश प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ इन्फेक्सियस एण्ड कन्टेजियस डिजीजेज इन एनिमल्स रूल-2016 के प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाय। जनपद में प्रशासन के सहयोग से ग्लैण्डर्स प्रभावित स्थानों के आस-पास अन्य अश्वों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया जाय, जिससे बीमारी का प्रकोप अन्य स्थानों में न फैल सके। किसी भी प्रकार की समस्या निवारण हेतु विभागीय वेबसाइट पर N.A.D.R.S. में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करें। **बीमारी की पुष्टि वाले अश्व प्रजाति के पशुओं को यूथनेशिया देकर निस्तारित करायें। इस व्यवस्था में जिला प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त करें।**

आदेशित किया जाता है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए किये गये प्रयासों एवं ग्लैण्डर्स प्रभावित अश्वों में प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ इन्फेक्सियस एण्ड कन्टेजियस डिजीजेज इन एनिमल्स एक्ट, 2009 तथा प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ इन्फेक्सियस एण्ड कन्टेजियस डिजीजेज इन एनिमल्स रूल 2016 के तहत की गयी कार्यवाही से इपीडी० अनुभाग मुख्यालय तथा अधोहस्ताक्षरी को तत्काल ही अवगत कराना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस बीमारी का फैलाव किसी भी दशा में न होने पाये, ऐसी व्यवस्था पशु चिकित्साधिकारियों से अपने मार्ग दर्शन में करायें तथा जिला प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त करें। बीमारी की पुष्टि हुए स्थान से 0.50 किमी० परिधि क्षेत्र में रहने वाले अश्व प्रजाति के पशुओं का 100 प्रतिशत तथा 05-10 किमी० की परिधि में 50 प्रतिशत अश्वों का सघन अनुश्रवण करें तथा बीमारी के प्राथमिक लक्षण स्कीनिंग में पाये जाने पर उनका रक्त नमूना एकत्र कर निदेशक, अश्व अनुसंधान केन्द्र, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा) को जाँच हेतु विशेष वाहक द्वारा भेजना सुनिश्चित करें। इनका दूरभाष नं०- 01662-275787 तथा फैक्स नं० -1662-276217 है। जनपद में जूनोटिक बीमारी ग्लैण्डर्स के फैलाव को नियंत्रित करने हेतु की गयी तैयारी एवं व्यवस्था से अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से अवगत करवाना आपका दायित्व रहेगा।

यह भी सुनिश्चित कर लें की भविष्य में पूर्व निर्देश पत्र संख्या- 468/ईपीडी०/2016-17 दिनांक 27-01-17 के कम में रक्त नमूना भेजते समय सभी आवश्यक सूचनायें भय पशुपालक का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर देना आपका व्यक्तिगत उत्तर दायित्व रहेगा। अपने कार्यालय का फोन नं० तथा ई. मेल आईडी० भी पत्र पर अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, सिरसा रोड हरियाणा को समन्वय रखने में सुविधा हो सके। यह भी अवगत कराना है कि यूथनेशिया के पश्चात पशु मालिकों को मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु अपनी माँग अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(डा० ए०एन०सिंह)

निदेशक।

पत्रांक- /ईपीडी०/ग्लैण्डर्स/2017-18

दिनांक

प्रतिलिपि- 1- संयुक्त सचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन लखनऊ।

2- उपायुक्त(पशु स्वास्थ्य) पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार कमरा नं० 346, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ।

(डा० ए०एन०सिंह)

निदेशक।

gländers

प्रेषक,  
निदेशक,  
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,  
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

जनपद— सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बदायूं, एटा, मथुरा, बरेली, आगरा,  
लखीमपुरखीरी, बाराबंकी, बागपत, गाजियाबाद, फतेहपुर, हापुड़, हाथरस एवं कासगंज।  
पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

संख्या— /ईपीडी०/ग्लैण्डर्स/2017-18

दिनांक—

विषय— अश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैण्डर्स बीमारी से पुष्टि के पश्चात पशु मालिकों को मुआवजा राशि दिये जाने के पश्चात सूचना भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि ग्लैण्डर्स एवं फार्सी सर्विलियेन्स योजना के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक के आवंटन आदेश सं०- 587/बजट/29(5)/अनु०-83/01/2017-18 दिनांक- 19.05.2017 के द्वारा पशु मालिकों को एस्कैंड योजना में मुआवजा राशि उपलब्ध करायी गयी थी, पशु मालिकों को एस्कैंड योजना में मुआवजा राशि दिये जाने के पश्चात निम्न प्रारूप पर जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है। मांगी गयी सूचना 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि धनराशि अभी तक वितरित नहीं की गई है तो स्पष्ट कारण का उल्लेख करें एवं क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाये।

क. सं.	पशु मालिक का नाम एवं पता	मोबाइल (अनिवार्य)	न०	हस्तान्तरित धनराशि	हस्तान्तरित दिनांक	का
1	2	3		4	5	

भवदीय

(डा०ए०एन०सिंह)  
निदेशक

संख्या— 190/ईपीडी०/ग्लैण्डर्स/2017-18

दिनांक— 5.7.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, फैजाबाद, मेरठ एवं इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने अधीन जनपदों को सूचना उपलब्ध करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- श्री नवीन गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर को इस आशय से प्रेषित कि वह मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को ई-मेल तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

(डा०ए०एन०सिंह)  
निदेशक